भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:3398

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्थानांतरण नीति

3398. श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभरः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की स्थानांतरण नीति में एक ही स्थान पर नियुक्ति एवं स्थानांतरण में पति-पत्नी को वरीयता दिए जाने के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार चिकित्सीय संस्थानों में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किए जाने हेतु उक्त नीति पर कोई विशिष्ट दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर रही है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या स्थानांतरण मामलों में इसके अनुपालन एवं प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और आज तक कितने मामलों में इसका पालन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), गोरखपुर में निदेशक के पद पर नियुक्ति कब तक होने की संभावना है और वर्तमान में चयन प्रक्रिया किस चरण में लंबित है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 24.11.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1669289899529 के माध्यम से सभी मंत्रालयों/विभागों को सभी संवर्गों हेतु स्थानांतरण नीति तैयार करने, पति-पत्नी का एक ही स्थान पर स्थानांतरण करने आदि के लिए स्थानांतरण नीति संबंधी सामान्य निर्देश जारी किया है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं में, सीजीएचएस कर्मचारियों के इंटर-सिटी स्थानांतरण आवेदनों पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)/नीति के अनुसार, एक विधिवत गठित स्थानांतरण समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिसमें इन आवेदनों पर 'जीवनसाथी के आधार पर स्थानांतरण' विचारणीय

पहलुओं में से एक है। वर्ष 2024-25 के दौरान सीजीएचएस के अंतर्गत जीवनसाथी के आधार पर इंटर-सिटी स्थानांतरण के 29 मामलों पर विचार किया गया और उनकी अनुशंसा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के तहत, जहाँ तक संभव हो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पति और पत्नी दोनों को एक ही स्थान पर, बशर्ते कि वह एक ही इकाई न हो, तैनात/स्थानांतरित किया जाता है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अधिनियम, 1956, एम्स संशोधन अधिनियम, 2012 द्वारा यथा संशोधित, तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुसार, किसी कर्मचारी को एक एम्स से दूसरे एम्स में स्थानांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है। 30.01.2025 को एम्स गोरखपुर के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति कर दी गई है।

*****